[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं॰ 07/2025-सीमाशुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2025

सा.का.नि......(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) संशोधन नियम, 2025 है।
   (2) ये 02 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 3 में, उपनियम 1 में, खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

   '*टक.* "त्रिमास" से एक कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले किन्ही तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास की अवधि अभिप्रेत है;'।

3. मूल नियमों के, नियम 6 के, उपनियम (2) में', दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द "मासिक" और "माह" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "त्रैमासिक" और " त्रिमास" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियमों के, नियम 7 के,-
   (i) उपनियम (1) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।
   (ii) उपनियम (3) में, '6 माह ' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे जायेंगे।

5. मूल नियमों के, नियम 8 के, उपनियम (1) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

6. मूल नियमों के, नियम 9 के, उपनियम (1) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द में रखा जाएगा।

7. मूल नियमों के, नियम 10 के, -

(i) उपनियम (1), खंड (ii) में, '6 माह ' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे जायेंगे।

(ii) उपनियम (2) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

(iii) उपनियम (3) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

(iv) उपनियम (5) में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

8. मूल नियमों के, प्रपत्र आईजीसीआर-3 में, 'मासिक' शब्द के स्थान पर 'त्रैमासिक' शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. सीबीआईसी -530524/2/2025-O/o निदेशक (सीमा शुल्क)- सीबीईसी]

(अनंत राधाकृष्णन)
निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पण:- मूल नियम सं॰ 74/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 09 सितंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड)i) संख्यांक सा.का.नि. 692(अ(, तारीख 10 सितंबर, 2022द्वारा प्रकाशित किए गए थे।